राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ.1(37)परि / स्था / 2008 / 4983 जयपुर, दिनांकः– 16/03/2024

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अंतर्गत वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.03.2024 को संपन्न हुई।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निम्न को सहायक प्रशासनिक अधिकारी (लेवल इन पे मैट्रिक– एल–10) के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:–

पदोन्नति वर्ष 2023–24

क्र. स.	नाम	जन्मतिथि	वर्ग	रिक्ति की तिथि
1.	श्रीमती प्रतिभा शर्मा	02.04.1970	अनारक्षित	01.04.2023
2.	श्री निखिल सोनी	24.02.1991	अनारक्षित	01.04.2023
3.	श्री पंकज मालवीय	15.12.1987	अनारक्षित	01.04.2023
4.	श्री मनीष पारीक	30.04.1994	अनारक्षित	01.04.2023
5.	श्रीमती सुमन शर्मा	13.04.1991	अनारक्षित	01.04.2023
6	श्री चन्द्र प्रकाश मीणा	15.07.1986	अ.ज.जा.	01.04.2023
7.	श्री चुन्नीलाल नागदा	20.08.1970	अनारक्षित	01.04.2023
8.	श्री अब्दुल वहीद	01.10.1970	अनारक्षित	01.04.2023
9.	श्री भागचन्द मीणा	06.01.1984	अ.ज.जा.	01.04.2023
10.	श्री गोपाल लाल मेहरा	15.10.1969	अनारक्षित	01.04.2023
11.	श्री मनोज चण्डालिया	05.05.1990	अ.जा.	01.04.2023

श्रीमती प्रतिभा शर्मा के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् की संतानोत्पत्ति से जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो जाने के कारण तीन भर्ती वर्षों तक पदोन्नति की पात्र नहीं थी। अतः वर्ष 2022–23 में प्रथम बार पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया।कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के प्रावधान के तहत् जिन कार्मिकों की पदोन्नति पर दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने पर 5/3 भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया गया था, उन्हें अब नियत तिथि से पदोन्नति दी जायेगी। ऐसे कार्मिकों का पदोन्नति पर वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना के निर्देशों के तहत होगा।

श्री करण सिंह / कल्याण सिंह के वर्ष 2016–17, 2019–20 पार्ट, 2022–23, (02.5) श्री सुरेन्द्र नाथ शर्मा पुत्र श्री केदार नाथ शर्मा के वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22(06) के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण समिति द्वारा इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया, इनके पदोन्नति प्रकरण को डैफर किये जाने एवं

इनके लिए 01—01 पद रिक्त रखे जाने की सिफारिश की गई है। श्री करण सिंह/कल्याण सिंह की संतान, अचल सम्पत्ति घोषणा भी अप्राप्त है।

उक्त पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ उनकें नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति तिथि से तथा नकद लाभ वास्तविक रूप से कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

पदोन्नत कार्मिक अविलम्ब अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर नवीन पद पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवायें। पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जाएगें।

उक्त पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी संख्या 29601/2018 में पारित निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।

(गोपाल सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.1(37)परि/स्था/2008/4990-5000 जयपुर, दिनांकः— 16/03/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राज., जयपुर।
5. निजी सहायक, उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राज., जयपुर।
6. नोडल अधिकारी वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
7. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
8. संबंधित कार्मिक श्री ....।
9. संबंधित श्री/श्रीमती.......................सूचना सहायक को राजकाज में आदिनांक करने हेतु।
10. निजी पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)